बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

--:: स्थायी आदेश ::--

संख्या- 4/वि0-1-116/2010.....7551.../सा0प्र0, पटना-15, दिनांक... 26 ... 2016

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से निर्गत होने वाले सभी अधिनियम/नियमावली/संकल्प अधिसूचना एवं राज्यादेश आदि का ससमय ई-गजट में प्रकाशित कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः सामान्य प्रशासन विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहयकों को निदेश दिया जाता है कि विभाग से निर्गत होने वाले सभी अधिनियम/नियमावली/ संकल्प/अधिसूचना एवं राज्यादेश आदि की कॉपी M.S.Word में प्रशाखा में उपलब्ध कम्प्यूटर में टाईप कराते समय ही उसी कम्प्यूटर ऑपरेटर से उक्त कम्प्यूटर में ही एक अलग फोल्डर बनाकर रक्षित करा लिया जाय। विभाग में कार्यरत सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को इस हेतु ट्रेनिंग प्राप्त है तथापि कोई कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में वे विभागीय आई0टी0 प्रबंधक से सहयोग प्राप्त करेंगे।

3. निर्गत अधिनियम/नियमावली/संकल्प/अधिसूचना एवं राज्यादेश आदि सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग एवं अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र (साधारण/असाधारण) में प्रकाशन हेतु अधिकतम एक सप्ताह के अंतर्गत उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी का होगा।

4. प्रकाशित राजपत्र की प्रति डाउनलोड/प्राप्त कर संबंधित सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा संगत संचिका में रक्षित की जायेगी।

5. उपर्युक्त कंडिका- 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित कार्यों का अनुश्रवण संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी सप्ताहांत में नियमित रूप से करेंगे।

6. उक्त निदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो संबंधित सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा होने वाली कठिनाई को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाकर कठिनाईयों का निराकरण प्राप्त करेंगे।

26/5/2016

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 4/वि0-1-116/2010.....7550...../सा0प्र0, पटना-15, दिनांक...26.5....,2016

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी प्रशाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायकों को आदेश से अवगत कराते हुए पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करावेंगे।

26/5/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।